बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

–:आदेश:–

संख्याः–06/प्र०–01(नि०सं०)–56/2024– 502 /पटना–15, दिनांक– 31.01.2025

श्री संजय कुमार ओझा (आई0 डी0 संख्या–3642), मुख्य अभियन्ता (संविदा नियोजित), योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना की दिनांक 31.01.2025 को होने वाले संविदा समाप्ति के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3 (2) (क) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री ओझा की संविदा अवधि अगले 01 (एक) वर्ष यथा दिनांक 31.01.2026 तक विस्तारित करते हुए विभागान्तर्गत मुख्य अभियन्ता (असै०) के पद के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर निम्नांकित शर्तो के साथ नियोजित कर मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है:–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3 (6) के अनुसार निर्धारित मानदेय एवं प्रदत्त सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सह पठित ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–4 के अनुसार सभी पदीय शक्तियाँ एवं कंडिका–5 के अनुसार आकस्मिक तथा क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य होगा।

(iii) श्री ओझा के जल संसाधन विभागान्तर्गत उक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन संबंधी व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, माँग संख्या–49, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–0006 स्थापना, विपत्र कोड 49–2700800010006, विषय शीर्ष–28 02–संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत भारित होगा।

(iv) संविदा अवधि के विस्तार के क्रम में यह नियोजन आगामी 01 (एक) वर्ष अर्थात् दिनांक 31.01.2026 तक अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगा।

(v) संविदा के आधार पर यह नियोजन स्थानान्तरणीय नहीं होगा।

(vi) संविदा पर नियोजित पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा सावधिक अन्तराल पर की जायेगी। नियोजित पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर यह नियोजन कभी भी बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दिया जायेगा।

(vii) यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व संविदा सेवा अवधि का विस्तार नहीं होता है, तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(viii) नियोजित पदाधिकारी विहित प्रपत्र में संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना के साथ एकरारनामा सम्पन्न करेंगे। नियोजित पदाधिकारी को एकरारनामा के समय असैनिक

शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) नियोजित पदाधिकारी सम्पादित एकरारनामा के आलोक में निर्धारित पद का पदभार ग्रहण करेंगे। नियोजित पदाधिकारी के मासिक मानदेय का भुगतान पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(x) उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

31/1/25
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–06/प्र०–01(नि०सं०)–56/2024– 502 /पटना–15, दिनांक– 31.01.2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, मोनिटरिंग अंचल, पटना/उड़नदस्ता अंचल–1 एवं उड़नदस्ता अंचल–2, पटना/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, एम०आई०एस० कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना [Common integrated website (www. state.bihar.gov.in)] पर प्रकाशित करने हेतु/कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 22, 23, एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/1/25
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।